रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)–04/0007/2003—05 REGISTERED No. DL (N)–04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 24, 2004—जुलाई 30, 2004 (श्रावण 2, 1926)
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 24, 2004—JULY 30, 2004 (SRAVAN 2, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

बैंक ऑफ बड़ौदा

मुंबई, दिनांक 18 जून 2004

सं. एचओ: एचआरएम:95: ई1: आरईजी41(6)--बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, बैंक ऑफ बड़ौदा का निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में पुन: संशोधन के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नामक विनियम बनाता है :

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को बैंक ऑफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2004 के नाम से जाना जाएगा।

(2) शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से वे लागू होंगे।

2. बैंक ऑफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में

(क) विनियम 2 के उपविनियम(में) से संबंधित उपवाक्य (ख) में, उपवाक्य (iii) के पश्चात् निम्नलिखित नामक उपवाक्य जोड़ा जाएगा:

"(iv) 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचकांक के 1148 अंकों तक परिकलित महंगाई भत्ता।"

(ख) उपनियम (6) के लिए विनियम 41 में निम्नलिखित नामक उपविनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(6) जो आवेदक अधिवर्षिता पेंशन या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन या समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अशक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता हेतु अधिकृत है, वह इन विनियमों के अधीन अपनी पेंशन के अंश को संराशीकृत करने हेतु पात्र होगा।

बशर्ते कि 1.7.2003 को या से, एक आवेदक जिसके मामले में उसकी सेवानिवृत्ति के अगले दिन अथवा जिस तारीख से संराशिकरण पूर्ण हो जाता है, पेंशन का संराशिकृत राशि देय हो जाती है, संराशिकरण के कारण पेंशन की राशि में कमी इसके प्रारंभ होने की तारीख से प्रारंभ हो जाएगी। जहां, सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात पेंशन की संराशिकृत राशि का भुगतान प्रथम माह के अंदर अथवा जब संराशिकरण पूर्ण हो जाती है उसके पश्चात एक माह के अंदर, जैसा मामला हो, नहीं किया जा सका, मासिक पेंशन और संराशिकृत पेंशन के अंतर का भुगतान सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन अथवा जब संराशिकरण पूर्ण हो जाता है, जैसा मामला हो और जिस तारीख को पेंशन की संराशिकृत राशि का भुगतान हो गया मान लिया गया होगा, के बीच की अवधि के लिये किया जाएगा।''

टिप्पणी : मुख्य विनियम 29.09.1995 को भारत सरकार के राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचित किए गए थे और उक्त बैंक ऑफ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में तदोपरान्त किए गए संशोधन राजपत्र में दिए ब्यौरे के अनुसार प्रकाशित किए गए थे :

क्र. सं.	अधिसूचना क्रमांक	तारीख
1.	1	03.01.2000
2.	शून्य	15.03.2003
3.	एचओ : एचआरएम : 95 : 578ए (परिशुद्धि)	02.08.2003
4.	एचओ : एचआरएम : 95ई1 :आरईजी28	01.12.2003

गुरूदास चक्रवर्ती
महाप्रबंधक (मा. सं. प्र.)

यूको बैंक
कार्मिक विभाग
प्रधान कार्यालय
कोलकाता-700001, दिनांक 29 जून 2004

सं. पीइएन 1/2004--बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा दिए गए अधिकार का प्रयोग करते हुए यूको बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में संशोधन हेतु मुख्य निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन विनियमों को यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2004 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में उसके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में

(क) विनियम 2 के उप विनियम (ध) के खंड (ख) में उप खंड (iii) के बाद निम्नलिखित उप खंड शामिल किया जाएगा अर्थात्--

''(iv) 1960 = 100 श्रृंखला में औद्योगिकी कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचकांक के 1148 प्वाइंट तक संगणित मंहगाई भत्ता।''

(ख) विनियम 41 में उप विनियम (6) के लिए निम्नलिखित उप विनियम प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

''(6) जो आवेदक अधिवर्षिता पेंशन या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन या समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अशक्त पेंशन या अनुकम्पा भत्ता के लिए अधिकृत है वह इन विनियमों के अधीन अपनी पेंशन के अंश को संराशीकृत करने हेतु पात्र होगा;

परन्तु यह कि 1.7.2003 को और उसके बाद से यदि उस आवेदक के मामले में जिसकी पेंशन का संराशीकृत मूल्य उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन या जिस तारीख से संराशीकृत निरपेक्ष हो जाता है, संराशीकरण के कारण पेंशन की राशि में कटौती उसके प्रारम्भ होने के दिन से चालू हो जाएगी। तथापि जहां सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद पहले महीने के भीतर या जिस तारीख को संराशीकरण निरपेक्ष होता है उसके बाद प्रथम महीने के भीतर, जैसी भी स्थिति हो, पेंशन के संराशीकृत मूल्य का भुगतान नहीं किया जा सका, वहां मासिक पेंशन तथा संराशीकृत पेंशन के बीच के अंतर की राशि का भुगतान उस अवधि के लिए किया जाएगा जो अवधि सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद की तारीख या संराशीकरण के निरपेक्ष होने की तारीख, जैसी भी स्थिति हो, और जिस तारीख को यह माना जाता है कि पेंशन के संराशीकृत मूल्य का भुगतान किया जा चुका है उस तारीख के बीच पड़ती है।''

पाद टिप्पणी: मूल विनियम भारत के राजपत्र में 29.9.1995 को प्रकाशित हुआ था और उसके बाद परवर्ती संशोधन राजपत्र में निम्न प्रकार से प्रकाशित हुआ :--

क्रमांक	अधिसूचना सं.	दिनांक
1.	पीइएन 1/99 दिनांक 30.12.1999	15.01.2000
2.	पीइएन 1/2002 दिनांक 30.12.2002	05.04.2003
3.	पीइएन 1/2003 दिनांक 03.12.2003	20.12.2003

वी. पी. सिंह
महाप्रबंधक (कार्मिक)

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई-400 021, दिनांक 19 जुलाई 2004

सूचना

स्टेट बैंक के शेयरधारकों की महासभा मंगलवार दिनांक 31अगस्त, 2004 को सुबह 10 बजे नेहरू सेन्टर डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई 400 018 (महाराष्ट्र) में निम्नलिखित कार्य हेतु आयोजित की जाएगी

'भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 19 (ग) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के लिए दो निदेशकों को निर्वाचित करना'

2 निदेशकों के निर्वाचन के लिए नामांकन फार्म सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों के मुख्य महाप्रबंधकों के सचिवालय एवं बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में केन्द्रीय बोर्ड सचिवालय में उपलब्ध हैं. नामांकन फार्म सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ केन्द्रीय कार्यालय में बैठक की नियत तिथि से 14 दिन पूर्व अर्थात सोमवार, 16 अगस्त, 2004 को अपराह्न 5.45 बजे से पहले प्राप्त हो जाने चाहिए. नियत तिथि के पश्चात प्राप्त नामांकन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा. लिफाफे पर **"शेयर धारक निदेशक के निर्वाचन हेतु नामांकन फार्म"** लिखा होना चाहिए तथा इसे निम्नांकित पते पर भेजा जाए

सचिव,
केन्द्रीय बोर्ड,
भारतीय स्टेट बैंक,
17 वी मंजिल,
स्टेट बैंक भवन,
मादाम कामा रोड,
मुंबई 400 021

3 क) ऐसे शेयर धारक जिनके पास, बैठक के दिनांक से कम से कम 3 माह पूर्व 50 एवं इससे अधिक शेयर हैं तथा जो निर्वाचन की तिथि तक बैंक के शेयर धारक रजिस्टर में शेयर धारक के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें मत देने की पात्रता है.

ख) ऐसे शेयर धारक जिनके पास अपने स्वयं के 500 एवं इससे अधिक अभारित शेयर हैं, उन्हें चुनाव लड़ने की पात्रता है.

(अरुण कुमार पुरवार)
अध्यक्ष

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

कार्मिक विभाग

पुणे-411 005 दिनांक 30 जून 2004

क्र.एएक्स1/कार्मिक/डीएम/265/2004 : बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 12 के उप विनियम 2 के साथ गठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 में पुन: संशोधन हेतु, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :

01. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) ये विनियम बैंक ऑफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील(संशोधन) विनियम 2004 कहलाएंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन के दिनांक से लागू होंगे ।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम 1976 के अंतर्गत

(क) विनियम 18 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात "18 समीक्षा"

इस विनियम में निहित किसी भी बात के रहते पुनरीक्षण अधिकारी अंतिम आदेश की तारीख से छ: महीनों के भीतर, ऐसा कोई साक्ष्य अथवा नई सामग्री, जो मामले की दिशा परिवर्तित कर सकती हो और जो पूर्व आदेश पारित करते समय उसे उपलब्ध न हुई हो अथवा प्रस्तुत न की जा सकी हो, प्राप्त होने पर अथवा उसके ध्यान में लाए जाने पर, वह अपने आप अथवा अन्य रूप से उक्त आदेश की समीक्षा कर सकता है और उचित समझे जाने वाले आदेश पारित कर सकता है; बशर्ते कि,

(i) यदि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित बढ़ाया गया दंड विनियम 4 के खंड (छ),(ज), (ट) और (ठ) में विनिर्दिष्ट भारी दंड हो और मामले में विनियम 6 के उपबंधों के अनुसार पहले ही इस संबंध में जाँच की जाए और उसके बाद जाँच के रिकार्ड पर विचार कर वह अपने द्वारा उचित समझे जाने वाले आदेश पारित कर सकता हैं,

(ii) यदि पुनरीक्षण प्राधिकारी दंड में वृद्धि करने का निर्णय लेता हैं किन्तु यदि विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में पहले ही जाँच की गई हो तो पुनरीक्षण प्राधिकारी अधिकारी - कर्मचारी को एक कारण बताओ नोटिस देगा कि उसे बढ़ाया गया दंड क्यों न दिया जाए और अधिकारी-कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन (यदि कोई हो) पर विचार करने के बाद वह अंतिम आदेश पारित करेगा ।

(ख) वर्तमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्

अनुशासनिक / अपीलीय / समीक्षा प्राधिकारियों की सूची

क्र.	क्षेत्र	अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी	समीक्षक प्राधिकारी
01	क्षेत्रीय कार्यालय और क्षेत्र की शाखाओं में कार्यरत अधिकारी वेतमान I एवम् वेतनमान II	क्षेत्रीय प्रमुख	महाप्रबंधक (कार्मिक) के.का.	कार्यपालक निदेशक
02	क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय और शाखाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यालय/विभाग में कार्यरत अधिकारियों सहित क्षेत्र, ग्रामीण विकास केन्द्र, प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, क्षेत्र (परिमंडल कार्यालय) में महाप्रबंधकों के कार्यालय,समन्वित खजाना एवं अंतरराष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई इत्यादि सहित केन्द्रीय कार्यालय के विभागों में कार्यरत अधिकारी वेतमान I एवम् वेतनमान II	स.म.प्र. (औ.सं. व मासंवि) के.का.	उ.म.प्र. (कार्मिक) के.का.	म.प्र. (कार्मिक) के.का.
03	वेतनमान III के अधिकारी / वेतनमान IV तथा V के कार्यपालक/	म.प्र. (कार्मिक) के.का.	कार्यपालक निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा यदि वे अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हों तो निदेशक मंडल की समिति
04	वेतनमान VI के कार्यपालक	कार्यपालक निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/ उनकी अनुपस्थिति अथवा यदि वे अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हों तो निदेशक मंडल की समिति *	निदेशक मंडल समिति * / निदेशक मंडल
05	वेतनमान VII के कार्यपालक	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक	निदेशक मंडल समिति *	निदेशक मंडल

टिप्पणी * निदेशक मंडल की समिति में तीन निदेशक होंगे ।

प्रयोग किए गए संक्षेपाक्षर :

स.म.प्र. (औ.सं. व मासंवि) - सहायक महाप्रबंधक, औद्योगिक संबंध व मानव संसाधन विकास, के.का.पुणे
उ.म.प्र.(कार्मिक) - उप महाप्रबंधक (कार्मिक), के.का.पुणे
म.प्र. (कार्मिक) - महाप्रबंधक (कार्मिक),के.का.पुणे
अ.प्रा.(D.A.) - अनुशासनिक प्राधिकारी

टिप्पणी - विस्तृत विवरण निर्देश

1. अनुशासनिक प्राधिकारियों से तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है, जिनके प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अधीन, उक्त अनुसूची में सूचीबद्ध अधिकारी आरोप-पत्र ज्ञापन जारी करने के समय कार्यरत हैं । संबंधित प्राधिकारी आरोप पत्र जारी करने के पश्चात आरोप पत्र दिए गए अधिकारी के स्थानांतरण पर विचार किए बिना पूर्ववत कार्य करें । यह स्पष्ट किया जाता है कि एक से अधिक क्षेत्र का कार्य सौंपे गए अधिकारियों तथा विधि अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, जांच अधिकारी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी उस क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन माने जाएंगे, जहां उनका वेतन निकाला जाता है ।

2. उल्लिखित प्राधिकारियों में उस पद का प्रभार संभालनेवाले अथवा तत्कालीन स्थानापन्न अधिकारियों का समावेश होगा ।

3. जहां अनुशासनिक कार्रवाई करने का कोई निर्णय लिया गया और आरोप पत्र नहीं दिया गया, तब समुचित अनुशासनिक प्राधिकारी इस अनुसूची के अनुसार होंगे ।

4. जहां अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ की गई है और दिनांक 2.1.1995 से प्रभावी पूर्व अनुसूची के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोप पत्र दिया गया है, संबंधित प्राधिकारी मामले की कार्यवाही पूरी होने तक उसी प्रकार कार्य करता रहेगा ।

5. इसके अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई / कार्यवाही करने के सौंपे गए / निहित अधिकारों में संबंधित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने / या आरोप पत्र जारी करने, निलंबित करने, विनियम 12 व 15 के अनुसार क्रमशः निलंबन के प्रतिसंहरण / समापन पर दिए जाने वाले व्यवहार के निर्णय के अधिकारों सहित बैंक ऑफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी अनुशासन और अपील विनियम, 1976 के विनियम 21 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का भी समावेश होगा ।

6. उक्त परिवर्तन इस अनुसूची के परिचालन के दिनांक से लागू होंगे । तथापि, इस अनुसूची के दिनांक से पूर्व आरंभ की गई या पूर्ण की गई कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही, अनुसूची में परिवर्तन के कारण अवैध नहीं होगी ।

7. जहां अपील प्राधिकारी के रूप में दो प्राधिकारी दर्शाए गए हैं, वहां अपील प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी की श्रेणी के आधार पर होगा अर्थात अपीलीय प्राधिकारी एक श्रेणी ऊपर का अधिकारी होगा ।

उप महाप्रबंधक
(कार्मिक)

पाद टिप्पणी - बैंक ऑफ महाराष्ट्र अधिकारी -कर्मचारी (अनुशासन व अपील) विनियम - 1976 में उपर्युक्त अनुसूची में पूर्व में किए गए संशोधन राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र.सं.	अधिसूचना क्र.	दिनांक
शून्य	शून्य	शून्य

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 2004

सं. यू-16/53(1)/2002/चि.2/भाग-II/गोवा—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियाँ प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किये गये संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डॉ. पी. बी. उसगांवकर, अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर दिनांक 17.5.2004 से 16.5.2005 तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राजकीय चिकित्सा आयुक्त (पश्चिमी जोन), मुंबई द्वारा निर्धारित गोवा के क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।

डॉ. (श्रीमती) सुभाष सिंह
चिकित्सा आयुक्त

दिनांक 25 जून 2004

सं. यू-16/53/99-चिकित्सा-2(राजस्थान)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियाँ प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किये गये संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डॉ. महेश चन्द्र सनाढ्य, अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर दिनांक 6.7.2003 से 5.7.2004 तक की अवधि के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर-पश्चिमी जोन), जयपुर द्वारा निर्धारित क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।

डॉ. (श्रीमती) सुभाष सिंह
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 2004

सं. एन-15/13/9/3/96-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 1 जुलाई, 2004 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1953 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे, अर्थात् :—

जिला एवं तालुका पुणे की सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्राम—चोसले एवं अरावान।

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

BANK OF BARODA

Mumbai, the 18th June 2004

No. HO : HRM : 95 : E1 : REG41 (6).—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Bank of Baroda in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995 namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

(1) These Regulations may be called the Bank of Baroda (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995,

(a) In clause (b) to sub-regulation (s) of regulation 2, after sub clause (iii) the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(iv) dearness allowance calculated upto Index number 1148 points in the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960 = 100."

(b) In regulation 41, for sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(6) An applicant who is authorised a superannuation pension or voluntary retirement pension or premature retirement pension or compulsory retirement pension or invalid pension or compassionate allowance shall be eligible to commute a fraction of his pension under these regulations.

Provided that on and form 1.7.2003, in case of an applicant in whose case, the commuted value of pension becomes payable on the day following the date of his retirement or from the date from which the commutation becomes absolute, the reduction in the amount of pension on account of commutation shall become operative from its inception. Where, however, payment of commuted value of pension could not be made within the first month after the date of retirement or within the first month after the date when the commutation becomes absolute as the case may be, the difference between the monthly pension and the commuted pension shall be paid for the period between the date following the date of retirement or the date when the commutation becomes absolute, as the case may be, and the date preceding the date on which commuted value of pension is deemed to have been paid."

FOOT NOTE: The principle Regulations were published in the Gazette of India on 29.9.1995 (Extraordinary) and subsequent amendments to the above Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995 were published in the Gazette as per details given below:

Sr. No.	Notification No.	Dated
1.	1	03.01.2000
2.	NIL	15.03.2003
3.	HO:HRM:95:378A (CORRIGENDUM)	02.08.2003
4.	HO:HRM:95:E1:REG28	01.12.2003

GURUDAS CHAKRABARTY
General Manager (HRM)

UCO BANK

(Head Office)

(PERSONNEL DEPARTMENT)

Kolkata-700001, the 29th June 2004

No. PEN 1/2004.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of UCO Bank in consultation with the Reserve bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the UCO Bank (Employees') Pension Regulations, 1995, namely :—

1. (1) These Regulations may be called UCO Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the UCO Bank (Employees') Pension Regulations, 1995,

(a) In clause (b) to sub-regulation(s) of regulation 2, after sub-clause (iii) the following sub-clause shall be inserted namely :—

"(iv) dearness allowance calculated upto index number 1148 points in the All India Average Consumer Price Index for industrial workers in the series 1960=100;"

(b) In Regulation 41, for sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be substitute namely :—

"(6) An applicant who is authorised a superannuation pension or voluntary retirement pension or premature retirement pension or compulsory retirement pension or invalid pension or compassionate allowance shall be eligible to commute a fraction of his pension under these regulations;

Provided that on and from 1.7.2003, in case of an applicant in whose case, the commuted value of pension becomes payable on the day following the date of his retirement or from the date from which the commutation becomes absolute, the reduction in the amount of the pension on account of commutation shall become operative from its inception. Where, however, payment of commuted value of pension could not be made within the first month after the date of retirement or within the first month after the date when the commutation becomes absolute as the case may be, the difference between the monthly pension and the commuted pension shall be paid for the period between the date following the date of retirement or the date when the commutation becomes absolute, as the case may be, and the date preceding the date on which commuted value of pension is deemed to have been paid."

Foot Note: The Principle Regulations were published in the Gazette of India on 29.9.1995 and subsequent amendments were published in the Gazette as under :—

Sl. No.	Notification No.	Date
1.	PEN 1/99 dated 30.12.1999	15.01.2000
2.	PEN 1/2002 dated 30.12.2002	05.04.2003
3.	PEN 1/2003 dated 3.12.2003	20.12.2003

V. P. SINGH
General Manager (Personnel)

STATE BANK OF INDIA

Central Office

Mumbai-400 021, the 19th July 2004

NOTICE

A General Meeting of the shareholders of the State Bank of India will be held on Tuesday, the 31st August, 2004 at Nehru Centre, Dr.Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400018 (Maharashtra), at 10.00 A.M. for the transaction of the following business:-

"to elect two directors to the Central Board of the Bank under the provisions of Section 19(C) of the State Bank of India Act, 1955"

2. The nomination forms, for the election of the directors, are available with the Secretariat of the Chief General Managers at all the Local Head Offices and the Central Board Secretariat at the Central Office of the Bank. The nomination forms with all connected documents should be received by the Bank at its Central Office not less than 14 clear days before the date fixed for the meeting i.e., before 5.45 P.M. on Monday, the 16th August, 2004; no nomination form received after the due date will be considered. The cover should be superscribed "NOMINATION FORM FOR ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTORS" and addressed to:

The Secretary,
Central Board,
State Bank of India,
17th Floor, State Bank Bhawan,
Madame Cama Road,
Mumbai – 400 021

3. a) Any Shareholder with 50 shares and above, registered for a minimum period of 3 months prior to the date of the meeting and who continues to be a shareholder in the register of Bank's shareholders as on the date of election is eligible to vote.

b) Any Shareholder with 500 and above unencumbered shares registered in his/her own right, is eligible to contest the election.

BANK OF MAHARASHTRA
PERSONNEL DEPARTMENT

Pune-411 005, the 30th June 2004

No. AXI/ST/DM/ 265/ 2004. In exercise of powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of Sec.12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Bank of Maharashtra in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend further the Bank of Maharashtra Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976 namely

01. Short Title & Commencement

(1) These regulations may be called Bank of Maharashtra Officer Employees' (Discipline & Appeal) (Amendment) Regulations, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the Bank of Maharashtra Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976

(a) For Regulation 18, the following regulation shall be substituted, namely
"18 Review:"

Notwithstanding anything contained in these regulations, the Reviewing Authority may at any time within 6 months from the date of the final order, either on his own motion or otherwise review the said order, when any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under review and which has the effect of changing the nature of the case, has come or has been brought to his notice and pass such orders thereon as it may deem fit.

Provided that:

i. If any enhanced penalty, which the Reviewing Authority proposes to impose, is a major penalty specified in clauses (f), (g), (h), (i) or (j) of Regulation 4 and an enquiry as provided under Regulation 6 has not already been held in the case, the Reviewing Authority shall direct that such an enquiry be held in accordance with the provisions of Regulation 6 and thereafter consider the record of the enquiry and pass such orders as it may deem proper:

ii. If the Reviewing Authority decides to enhance the punishment but an enquiry has already been held in accordance with the provisions of Regulation 6, the Reviewing Authority shall give show cause notice to the officer employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him and shall pass an order after taking into account the representation, if any, submitted by the officer employee.

(b) For the existing Schedule. the following Schedule shall be substituted, namely

SCHEDULE DF DISCIPLINARY / APPELLATE / REVIEWING AUTHORITIES.

Sr. No	Region	Disciplinary Authority	Appellate Authority	Reviewing Authority
01.	Officers working in Regional Office and branches in the region Scale I & Scale II.	Regional Head	G.M. (P), C.O.	Executive Director
02.	Officers working in any office / department other than R.M. Office and branches vis-à-vis officers working in all departments of Central Office including inspection cells set up in the field, Rural Development Centres, Training College, Training Centres, IT Institute, G.M's Offices in the field (Circle Offices), Integrated Treasury, Mumbai, International Division, Mumbai etc. Scale I & Scale II	A.G.M.IR & HRD, C.O.	D.G.M.(P). C.O.	G.M.(P) C.O.
03.	Officers in Scale III / Executives in Scale IV & V	G.M.(P), C.O.	Executive Director or in his absence, Chairman & M.D.	Chairman & M.D. or in case he is functioning as Appellate Authority, the Committee of the Board. *
04.	Executives in Scale VI	Executive Director or in his absence, Chairman & M.D.	Chairman & M.D. / in his absence or in case he is functioning as D.A., the Committee of the Board *	The Committee of the Board* / Board.
05.	Executives in Scale VII	Chairman & M.D. or in his absence Executive Director	Committee of the Board *	Board

Notes : * Committee of Directors will consist of 3 directors.

Abbreviations used:

A.G.M. IR & HRD= Asstt. General Manager. Industrial Relations & Human Resources Development, Central Office, Pune.

D.G.M.(P) = Dy.General Manager, Personnel, Central Office, Pune.

G.M.(P) = General Manager, Personnel, Central Office, Pune.

D.A = Disciplinary Authority.

Note: Detailed Guidelines:

01. The Disciplinary Authorities mean that the authorities under whose administrative jurisdiction the officers listed in the above schedule are working at the time of issuance of memorandum / chargesheet. The concerned authorities will continue to act as such, irrespective of transfer of the chargesheeted officer, after issuance of chargesheet. It is clarified that the officers assigned for the work of more than one region such as Law Officer, Security Officer, Enquiry Officer, Presenting Officer will be considered to be under the administrative control of the regions where their salary is drawn.

02. The authorities mentioned above shall include officers then officiating or holding the charge of that post.

03. Where any decision to institute disciplinary action has been taken and the chargesheet is not served, then the appropriate Disciplinary Authority will be in terms of this schedule.

04. Where disciplinary proceedings have been initiated and the chargesheet is served by the Disciplinary Authority as per earlier schedule effective from 02.01.95, the concerned authority will continue to act as such till conclusion of the case.

05. The powers to institute disciplinary action / proceedings delegated and vested herein shall include the power to issue show cause notices and / or to issue chargesheet, to suspend the employee concerned, to decide about the treatment to be given on revocation / termination of suspension in terms of regulation 12 & 15 respectively, as also the powers under regulation 21 of Bank of Maharashtra Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976.

06. The above changes shall be effective from the date of circulation of this schedule. However, any disciplinary proceedings initiated or completed prior to the date of this schedule shall not be invalid due to the change in schedule.

07. Where two authorities are shown as Appellate Authority, the Appellate Authority will depend upon the grade of Disciplinary Authority i.e. Appellate Authority will be at least one grade above.

Dy. General Manager
Personnel

Foot Note: Earlier amendments to the above Schedule to Bank of Maharashtra Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976 were published in the Gazette as per details given below:

Sr.No.	Notification No.	Dated.
NIL	NIL	NIL

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 2nd June 2004

No. U-16/53(1)2002-Med.II Col.II (Goa).—In pursuance of the resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation 1950 and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order no. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorise Dr. R. B. Usgaonkar, PTMR to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. 17.5.2004 to 16.5.2005 for one year, or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Goa to be allocated by State Medical Commissioner (West Zone) Mumbai for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. (MRS.) S. SINGH
Medical Commissioner

The 25th June 2004

No. U-16/53/99/Med..II(Rajasthan).—In pursuance of the resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order no. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorise Dr. Mahesh Chander Sanadhya, PTMR to function as Medical Authority for Rajasthan Centre for the period one year from 6.7.2003 to 5.7.2004 or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Ahmedabad for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. (MRS.) S. SINGH
Medical Commissioner

New Delhi, the 8th July 2004

No. N-15/13/9/3/96-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July 2004 as the date from which the medical benefits as laid down in the Regulation 95-A and the Maharashtra Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1953 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Maharashtra namely.

"Areas within the limits of the revenue villages of Morana and Avdhan in Taluka and District of Dhule."

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004